



Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing,
Loknayak Bhawan
Khan market,
New Delhi-110 003

No. 13/1/AP/DEVT/2013/RU-IV

Date 05.05.2016

To,
The Chief Secretary,
Government of Telangana,
Secretariat,
Hyderabad-500022

Sub: Displacement of Tribals in Devaragodhi, Polavaram Mandalam, West Godavari District and Pudipull Pnachayat in East Godhavari District of Andhra Pradesh and other States.


Sir,

I am directed to invite your kind attention on the subject mentioned above and to say that Dr. Rameshwar Oraon, Hon'ble Chairperson, NCST fixed up a meeting on 24.05.2016 at 3.00 PM.

2. A copy of the Report published in India Today (Hindi Edition) dated 11.5.2016 is also enclosed for necessary action.


3. It is requested that kindly make it convenient to attend meeting with all relevant document/records at NCST HQs at 6th floor, Loknayak Bhawan, Khan Market, New Delhi on the scheduled date and time.

Yours faithfully,


(N. Balasubramanian)
Research Officer

Copy to :

1. PS to Chairperson, NCST, New Delhi for information.
2. Sr. PPS to Secretary, NCST, New Delhi for information.
3. Director, NCST, RO-Bhubaneswar for necessary follow-up action.
4. SSA, NIC, NCST, New Delhi for uploading on website.
5. Assistant Director (Admn.) for arrangement of meeting and refreshment.



Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

5th floor, 'B' Wing,
Loknaya Bhawan
Khan market,
New Delhi-110 003

No. 13/1/AP/DEVT/2013/RU-IV

Date 05.05.2016

To,

The Chief Secretary,
Government of Andhra Pradesh,
Secretariat,
Hyderabad-500022.

Sub: Displacement of Tribals in Devaragodhi, Polavaram Mandalam, West Godavari District and Pudipull Pnachayat in East Godhavari District of Andhra Pradesh.


Sir,

I am directed to invite your kind attention on the subject mentioned above and to say that Dr. Rameshwar Oraon, Hon'ble Chairperson, NCST fixed up a meeting on 24.05.2016 at 3.00 PM.

2. A copy of the Report published in India Today (Hindi Edition) dated 11.5.2016 is also enclosed for necessary action.

3. It is requested that kindly make it convenient to attend meeting with all relevant document/records at NCST HQs at 6th floor, Loknaya Bhawan, Khan Market, New Delhi on the scheduled date and time.

Yours faithfully,


(N. Balasubramanian)
Research Officer

Copy to :

1. PS to Chairperson, NCST, New Delhi for information.
2. Sr. PPS to Secretary, NCST, New Delhi for information.
3. Director, NCST, RO-Bhubaneswar for necessary follow-up action.
4. SSA, NIC, NCST, New Delhi for uploading on website.
5. Assistant Director (Admn.) for arrangement of meeting and refreshment.



Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing,
Loknaya Bhawan
Khan market,
New Delhi-110 003

No. 13/1/AP/DEVT/2013/RU-IV

Date 05.05.2016

To,

The Chief Secretary,
Government of Chhattisgarh,
Secretariat,
Raipur-751001


Sub: Displacement of Tribals in Devaragodhi, Polavaram Mandalam, West Godavari District and Pudipull Pnachat in East Godhavari District of Andhra Pradesh and other States.

Sir,

I am directed to invite your kind attention on the subject mentioned above and to say that Dr. Rameshwar Oraon, Hon'ble Chairperson, NCST fixed up a meeting on 24.05.2016 at 3.00 PM.

2. A copy of the Report published in India Today (Hindi Edition) dated 11.5.2016 is also enclosed for necessary action.
3. It is requested that kindly make it convenient to attend meeting with all relevant document/records at NCST HQs at 6th floor, Loknaya Bhawan, Khan Market, New Delhi on the scheduled date and time.

Yours faithfully,


(N. Balasubramanian)
Research Officer

Copy to :

1. PS to Chairperson, NCST, New Delhi for information.
2. Sr. PPS to Secretary, NCST, New Delhi for information.
3. Director, NCST, RO-Bhopal for necessary follow-up action.
4. SSA, NIC, NCST, New Delhi for uploading on website.
5. Assistant Director (Admn.) for arrangement of meeting and refreshment.

बांध बना मुसीबत की जड़

सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद आंध्र प्रदेश के पोलावरम बांध पर काम शुरू हो जाने से ओडिशा के डूब प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के गुस्से को मिला राजनैतिक समर्थन




पोलावरम बांध के विराध में इतना लोग

■ महेश शर्मा

हमारा जंगल-जमीन सब डूब जाएगा," ओडिशा के मलकानगिरी के पुरुगुडा के विश्वनाथ रेड्डी मुट्टी भौंचे हुए गुस्से से फट पड़ते हैं। ऐसा गुस्सा इस इलाके के सैकड़ों लोगों में है, जिनके गांव और जमीन पोलावरम बांध परियोजना से प्रभावित हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश में गोंदावरी नदी पर बन रही इस परियोजना से आंध्र के कुछ इलाके, तेलंगाना में खम्मम, छत्तीसगढ़ में सुकमा समेत कुछ अन्य इलाके भी डूबेंगे पर सबसे ज्यादा असर ओडिशा पर पड़ेगा। विडंबना यह कि परियोजना से ओडिशा को न तो एक यूनिट बिजली मिलेगी और न ही एक इंच जमीन सिंचित होगी। सो ओडिशा के लोग लगातार इसके विरोध में हैं। इस परियोजना के चालू होने पर आंध्र की सीमा पर स्थित ओडिशा के मलकानगिरी जिले की पेट्टू तहसील पूरी तरह डूब जाएगी।

ओडिशा सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक, मोटू तहसील के 25 गांव डूब जाएंगे, इन गांवों की 6,818 लोगों की आबादी को विस्थापित होना पड़ेगा। इसमें 5,618 आदिवासी हैं। इनके अलावा 7,656 हेक्टेयर की कृषि और जंगल भूमि भी डूब जाएगी। दूसरी ओर विपक्ष ने प्रदेश की बीजू जनता दल (बीजेडी) सरकार पर आरोप लगाया है कि नुकसान इससे कहीं ज्यादा होगा। विपक्ष ने सरकार के आंकड़ों को चुनौती देते हुए कहा है कि सरकार नहीं कराया है, फिर तौर पर कौन सवैक्षण नहीं कराया है, फिर यह रिपोर्ट कहा से आई? ओडिशा में विरोध का जबरदस्त माहौल है। आइना गांव के रवि कुमार कहते हैं, "अनुमान कुछ भी लगाया जाए पर पोलावरम से कम से कम 25 गांव तबाह होंगे।" वहीं परियोजना से चारों रव्यों के 276 गांव, करीब 15 लाख आबादी और 94,357 एकड़ भूमि प्रभावित होगी। इधर 1,000 परिवार कोया आदिम जनजाति के हैं। जल-जंगल डूबने

से जैव विविधता और पर्यावरण को भी जबरदस्त नुकसान होगा जिसकी भरपाई संभव नहीं है। विरोध के माहौल को देखते हुए मिछली 8 मार्च को सत्ताधारी बीजेडी ने कोरापुट और भलकानगिरि जिले में बंद का आह्वान किया था, जो बेहद सफल रहा। वहीं विपक्षी दल और बुद्धिजीवी इस भस्मे पर सरकार पर लगातार विफलता का आरोप लगा रहे हैं। परियोजना के विरोध में कांग्रेस विधायक त्यागपत्र देने की घोषणा कर चुके हैं, जिसने बीजेडी पर दबाव बढ़ा दिया है। ओडिशा की नाराजगी इस बात को लेकर है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के दौरान ही आंध्र सरकार ने टैंडर का जरिए काम को फिर से आगे बढ़ा दिया है, वहीं केंद्र सरकार ने इसे डीम प्रोजेक्ट घोषित कर दिया है। ओडिशा विधानसभा में भारी विरोध को देखते हुए अध्यक्ष ने विधायकों की सर्वदलीय समिति गठित कर दी है जो प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर बातचीत के लिए समय मांग रही है। विडंबना है कि बीजेपी



और कांग्रेस दिल्ली में इसके पक्ष में खड़ी है, पर राज्यों में इनकी इकाइयां विरोध कर रही हैं। सर्वदलीय समिति से कांग्रेस ने खुद को अलग कर लिया है। विधायक दल के मुख्य सचेतक तारा प्रसाद वाहिनीपति कहते हैं, "बीजेडी श्रेय लूटने के चक्कर में है, सो कांग्रेस के विधायकों को बुलाए बिना ही बैठक कर रही है।" केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने भुवनेश्वर में दौरे पर कहा था कि पोलावरम परियोजना में अगर ओडिशा के हितों को अनदेखी वी गई तो केंद्र पैसा देना बंद कर देगा। उमा तो ग्राम पंचायत स्तर पर जनसुनवाई कराने के भी पक्ष में हैं। वहीं, ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष प्रसाद हरिचंद्रन कहते हैं, "सिर्फ कांग्रेस नेता ही मलकानगिरि में प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं।" यह मसला सिर्फ ओडिशा का नहीं है, छत्तीसगढ़ में 3,200 हेक्टेयर जमीन जलयमन हो जाएगी और 35 गांवों के 30,000 लोग बंजर।

ओडिशा विधानसभा में पहली बार 2006 में सक्सेसमति से पोलावरम पर विरोध दर्ज हुआ था। एक याचिका पर 2007 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बल्लूकृष्णन, न्यायभूमि अखिल पसरत और एस.के. अभाइया ने राहत और पुनर्वास का प्लान सरकार से मांग था। बाहिनीपति कहते हैं, "ताज्जुब कि ओडिशा की याचिका विचाराधीन है और 40 नौकरी काम हो भी चुका है।" बीजेडी के प्रवक्ता विरामाक प्रदाप जेना कहते हैं, "सुप्रीम कोर्ट में आंध्र सरकार

के खिलाफ पंचायत समिति का अनामत चुनाव 2007 से बल की शक्ति का प्रयोग करने के बाद अंध्र प्रदेश में राजनीति में भी अनामत चुनावों से 180 फुट ऊपर उठने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री नारायणचंद्र मोहन ने कहा कि 2015 तक के निर्वाचनों में अनामत चुनावों पर मत विधेयक को लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। इस परिवर्तन को अनामत चुनावों के और आंध्र में पहली बार की स्थिति बनाने की संभावना बढ़ा दे गई थी। अनामत चुनावों के केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय के प्रमुख इय्य प्रोजेक्ट को नष्ट करने का निर्णय लेने के बाद रोड और धूम्र के अंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य अनादीनद पीलावरा में रोड नष्ट होने के विरोध में कांग्रेस चारों तरफ से आंदोलन शुरू कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से अपील करने के बाद मुख्यमंत्री नारायणचंद्र मोहन ने कहा कि अनामत चुनावों के निर्णय को लागू करने का निर्णय लिया जाएगा।

ओडिशा में मुख्यमंत्री नारायणचंद्र मोहन ने कहा कि अनामत चुनावों के निर्णय को लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अनामत चुनावों के निर्णय को लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। उमा के विचारों पर डूब प्रभावित होने की आशंका है।

पुनर्वास के लिए योजना बनाई जा रही है। अनामत चुनावों के निर्णय को लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। अनामत चुनावों के निर्णय को लागू करने का निर्णय लिया जाएगा।

अनामत चुनावों के निर्णय को लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। अनामत चुनावों के निर्णय को लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। अनामत चुनावों के निर्णय को लागू करने का निर्णय लिया जाएगा।



Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing,
Loknayak Bhawan
Khan market,
New Delhi-110 003

No. 13/1/AP/DEVT/2013/RU-IV

Date 05.05.2016

To,

The Chief Secretary,
Government of Odisha,
Secretariat,
Bhubaneswar-751001


Sub: Displacement of Tribals in Devaragodhi, Polavaram Mandalam, West Godavari District and Pudipull Pnachayat in East Godhavari District of Andhra Pradesh and other States.

Sir,

I am directed to invite your kind attention on the subject mentioned above and to say that Dr. Rameshwar Oraon, Hon'ble Chairperson, NCST fixed up a meeting on 24.05.2016 at 3.00 PM.

2. A copy of the Report published in India Today (Hindi Edition) dated 11.5.2016 is also enclosed for necessary action.
3. It is requested that kindly make it convenient to attend meeting with all relevant document/records at NCST HQs at 6th floor, Loknayak Bhawan, Khan Market, New Delhi on the scheduled date and time.

Yours faithfully,


(N. Balasubramanian)
Research Officer

Copy to :

1. PS to Chairperson, NCST, New Delhi for information.
2. Sr. PPS to Secretary, NCST, New Delhi for information.
3. Director, NCST, RO-Bhubaneswar for necessary follow-up action.
4. SSA, NIC, NCST, New Delhi for uploading on website.
5. Assistant Director (Admn.) for arrangement of meeting and refreshment.